



$\frac{2}{6}$

## केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापिस दिये जाने की तारीख	नकल वापिस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
<u>115</u> 3-1-2020	3-1-2020	4-1-2020	



69

ग्रामीण लोक सेवा केंद्र



विद्युत वितरण विभाग

सिंधी विभाग

सिंधी विभाग

सिंधी विभाग

उपान आदेश

नगरपालिका उपजिल्हाधिकारी सिंधूरपुर गजगीपुर

नुं १००५५ एच २०१८

शान्ति विभाग, सिंधूरपुर वसाहत गावसभ्या वसाहत

घाटा १५३ जप क्रिमां०

कैफो- वसाहत वसाहत (समूह) जिला गजगीपुर

आदेश दिनांक २९-१२-२०१८ ई

उपान आदेश दिनांक २९-१२-२०१८ ई की बाबुआरी

खान में संलग्न है



## न्यायालय उपजिलाधिकारी सैदपुर गाजीपुर

मु0नं0 054/2018

अन्तर्गत धारा-143 उ0प्र0ज0वि0 एवं भू0 व्यवस्था अधि0

मौजा खानपुर परगना खानपुर तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर

शान्ति शिक्षा संस्थान

बनाम

ग्राम सभा खानपुर

### आदेश

उ0प्र0ज0वि0 एवं भू-व्यवस्था अधिनियम की धारा-143 के अन्तर्गत यह आवेदन भुल्लन यादव पुत्र श्री शिव यादव निवासी ग्राम-बभनौली कला, परगना-खानपुर, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर द्वारा इस अभिकथन के साथ प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक ग्राम-खानपुर, परगना-खानपुर, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर स्थित भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 पर शान्ति शिक्षा संस्थान द्वारा बाउण्ड्रीवाल बना कर बी0एस0 नर्सिंग कालेज हेतु भवन का निर्माण किया गया है। जिसमें उक्त भूमि अकृषित हो गयी है। जिसे अकृषित घोषित किया जाना आवश्यक है अतः भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 प्रार्थी के तयशुदा कुल रकबा 0.7590हे0 को अकृषित करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थना पत्र की जाँच तहसीलदार सैदपुर से करायी गयी है। तहसीलदार सैदपुर ने क्षे0ना0त0 राजस्व निरीक्षक से अभिलेखिय व स्थलीय जाँच के पश्चात निर्धारित प्रारूप पत्र आख्या प्रेषित किया है जिसमें क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार ने अपनी आख्या क्रमशः दिनांक-11.09.2018 व 16.10.2018 ने उल्लेख किया गया है कि ग्राम-खानपुर, परगना-खानपुर, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर स्थित भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 शान्ति शिक्षा संस्थान प्रबन्धक भुल्लन यादव पुत्र शिव यादव निवासी ग्राम- बभनौली कला, परगना-खानपुर, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर के नाम दर्ज है, तथा मौके पर विद्यालय का भवन एवं चहार दीवारी निर्मित है। उक्त रकबा के 0.7590हे0 रकबे पर भवन व बाउण्ड्रीवाल बनाकर विद्यालय के परिसर के रूप में जिसमें कृषि कार्य नहीं होता है। अतः \* भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 भूमि को ज0वि0अधि0 की धारा-143 के तहत अकृषित घोषित करने की संस्तुति की गयी है।

विद्वान अधिवक्ता को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा तहसीलदार सैदपुर द्वारा प्रेषित जाच आख्या का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मौके पर लिये गये फोटोग्राफ के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 पर कृषि कार्य नहीं होता है उक्त सभी अराजी के अधिकांश अंश पर भवन निर्मित है। रिपोर्ट के साथ संलग्न खसरा में भूमि की श्रेणी आवादी अंकित है। अतः मौके की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन आवश्यक और न्याय संगत प्रतीत होता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध कागजात एवं तहसीलदार सैदपुर की आख्या दिनांक-29.12.2018 के आधार पर ग्राम-खानपुर, परगना-खानपुर, तहसील-सैदपुर, जिला-गाजीपुर स्थित भू0सं0 570/0.5060 एवं 903/02530हे0 भूमि अकृषित किया जाता है तदनुसार राजस्व अभिलेख संसोधन हेतु परवाना अमल दरामद जारी हो आदेश की प्रति उप निबन्धक सैदपुर को भेजी जाय आवश्यक अनुपालन के पश्चात पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

नवलकुंठा - [Signature]  
मिहनाकुंठा - [Signature]  
बुद्धशब्द (25/12/18) - 350



(एस0एन0 पाठक)

उपजिलाधिकारी

सैदपुर-गाजीपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रस्तुतकर्ता  
कार्यालय उपजिलाधिकारी  
सैदपुर-गाजीपुर